बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना
(बिहार सरकार का उपक्रम)

कार्यालय आदेश

निगम के कार्यपालक समिति के निर्णय के आलोक में राज्य के 15 (पन्द्रह) जिलें यथा पटना, भोजपुर, नालन्दा, रोहतास, कैमूर, नवादा, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, बाँका एवं भागलपुर में कार्यरत बफर स्टॉक केन्द्र 15 मई 2018 से बंद करने का निर्णय लिया गया है, जो निजी जमीन में कार्यरत है। सरकारी जमीन में कार्यरत डिपो कार्य करते रहेगें।

2. अतः इन जिलों में पदस्थापित डिपो प्रबंधको को निदेश दिया जाता है कि वे डिपो में उपलब्ध लघु खनिज बालू इत्यादि की बिक्री 15 मई 2018 तक निश्चित रूप से कर देंगे ताकि निजी जमीन को खाली किया जा सके एवं निजी जमीन मालिक को जमीन लौटाई जा सके। इस प्रकार की सूचना जमीन मालिक को भी निश्चित रूप से तुरन्त दे दी जाय।

3. वैसे जिले जहाँ सरकारी जमीन में डिपो कार्यरत है अगले आदेश तक चलता रहेगा।

4. संबंधित जिलो के सहायक निदेशक/ खनिज विकास पदाधिकारी/ खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, खान एवं भूतत्व इन सभी कार्यो की समीक्षा करते रहेगें तथा 16 मई 2018 को डिपो प्रबंधक से सभी कागजात/ कैश बुक इत्यादि का प्रभार ग्रहण कर लेंगे।

ह0/–
(राजेश कुमार)
महाप्रबंधक (वित्त एवं ऑपरेशन)

ज्ञापांक– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपिः सभी संबंधित समाहर्त्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
महाप्रबंधक (वित्त एवं ऑपरेशन)

ज्ञापांक– 03/विविध 16/17-245 पटना, दिनांक– 03/05/18
प्रतिलिपिः सभी डिपो प्रबंधक, बिहार स्टेट माइनिंक कॉरपोरेशन लिमिटेड/ सभी सहायक निदेशक/ सभी खनिज विकास पदाधिकारी/ सभी खान निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/5/18
महाप्रबंधक (वित्त एवं ऑपरेशन)